



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

प्रयागराज बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021 ई०  
(अग्रहायण 17, 1943 शक संवत्)

#### उत्तर प्रदेश शासन

#### धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या 1239/57-2021-2(2)/1992 टी०सी०-2

लखनऊ, दिनांक : 08 दिसम्बर, 2021 ई०

#### अधिसूचना

प०आ०-435

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1983) यथा संशोधित अधिनियम, 2003 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल प्रो० नागेन्द्र पाण्डेय, पूर्व आचार्य, सिद्धान्त ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, निवासी एस-23/162-15 वरुणा विहार कालोनी सिकरौर वार्ड, नियर जे०पी० मेहता इण्टर कालेज, वाराणसी को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से न्यास परिषद् के अध्यक्ष पद पर नामांकन अधिसूचित करते हैं।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-27 असाधारण गजट-04-01-2022-102 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।